

# विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908<sup>1</sup>

(1908 का अधिनियम संख्यांक 6)

[8 जून, 1908]

विस्फोटक पदार्थों से सम्बन्धित विधि को  
और संशोधित करने के लिए  
अधिनियम

विस्फोटक पदार्थों से संबंधित विधि को और संशोधित करना आवश्यक है, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना—(1) यह अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 कहा जा सकेगा।

2[(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है <sup>3</sup>\*\*\*, और यह <sup>4</sup>[भारत के बाहर] भारत के नागरिकों को भी लागू होता है।]

5[2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में—

(क) “विस्फोटक पदार्थ” पद के अन्तर्गत कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने या कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या अनुकूलित या कारित करने में सहायता के लिए कोई साधित्र, मशीन, उपकरण या सामग्री भी तथा ऐसे किसी साधित्र, मशीन या उपकरण का कोई भाग भी समझा जाएगा;

(ख) “विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ” पद के अन्तर्गत अनुसंधान विकास विस्फोटक (आर० डी० एक्स०), पेंटा एरिथ्रीटाल टेट्रा नाइट्रेट (पी० ई० टी० एन०), उच्च गलन विस्फोटक (एच० एम० एक्स०), ट्रीनाइट्रो टाल्यूइन (टी० एन० टी०), निम्न ताप प्लास्टिक विस्फोटक (एल० टी० पी० ई०) सम्मिश्रण विस्फोटन (सी० ई०) (2, 4, 6 फिनाइल मिथाइल नाइट्रामाइन या टैट्रिल), ओ० सी० टी० ओ० एल० (उच्च गलन विस्फोटक और नाइट्रो टाल्यूइन का मिश्रण) प्लास्टिक विस्फोटक किरकी-1 (पी० ई० के०-1) और आर० डी० एक्स०/टी० एन० टी० सम्मिश्रण तथा अन्य उसी प्रकार के विस्फोटकों और उनका संयोजन तथा विस्फोट कारित करने वाली सुदूर नियंत्रण युक्तियां और ऐसा कोई अन्य पदार्थ तथा उसका सम्मिश्रण, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे, भी समझा जाएगा।

3. जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड—कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धतः और विद्वेषतः :—

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गम्भीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु या कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

4. विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड—कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धतः और विद्वेषतः :—

<sup>1</sup> इस अधिनियम का विस्तारण 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर किया गया और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा (3) और पहली अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर तथा 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा दादरा और नागर हवेली पर तथा 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर ; और अधिसूचना सं० सा० का० नि० 201, तारीख 30-1-1976 द्वारा सिक्किम राज्य पर लागू किया गया।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों के सिवाय” शब्द निरसित।

<sup>4</sup> 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “जहां कहीं पर भी वे हों” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 2001 के अधिनियम सं० 54 की धारा 2 द्वारा (धाराओं 2 से 5 के स्थान पर) प्रतिस्थापित।

(क) इस प्रकार का विस्फोट, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के आशय से कोई कार्य करेगा या किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के लिए षड्यंत्र करेगा ; या

(ख) कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाएगा या अपने पास रखेगा या अपने नियंत्रणाधीन रखेगा कि उसके द्वारा वह जीवन को जोखिम में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षति कारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन को जोखिम में डालने या संपत्ति को गंभीर क्षति कारित करने के लिए समर्थ बनाए,

चाहे कोई विस्फोट होता है या नहीं और चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं—

(i) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ii) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

**5. संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड**—कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है

या अपने नियंत्रणाधीन रखता है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या अपने पास नहीं रख रहा है या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है जब तक कि वह यह दर्शित नहीं कर सकता कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया है या अपने पास रखा है या अपने नियंत्रणाधीन रखा है—

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।]

**6. दुष्प्रेरकों को दण्ड**—कोई व्यक्ति जो धन के प्रदाय या याचना द्वारा, परिसर उपलब्ध कराके, सामग्री के प्रदाय द्वारा, या अन्य किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है, उसके किए जाने के लिए मंत्रणा देता है, सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है, या उसका उपसाधक होता है, उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडित किया जाएगा ।

**7. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन**—इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय <sup>1\*\*\*</sup> <sup>2</sup>[जिला मजिस्ट्रेट] की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा ।

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार या” शब्द निरसित किए गए ।

<sup>2</sup> 2001 के अधिनियम सं० 54 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।